08.02.2018

(394)

पत्रांक : 5199 /आयु0रा0क0उत्तरा0 / रा0क0 / जी0एस0टी0 / विधि–अनु0 / 2017–18

प्रेषक,

आयुक्त-राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

PA to HOD

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
08 FEB 2018
उत्तराखण्ड लो० नि० वि०

श्री मनोज पन्त प्रमुख 08/02/18 CAO

प्रमुख अभियन्ता लो० नि० वि०

(जी0एस0टी0 / विधि–अनुभाग) देहरादूनः दिनांकः 29 जनवरी, 2018

महोदय,

आप अवगत हैं कि दिनांक 01.07.2017 से सम्पूर्ण देश एवं उत्तराखण्ड राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू हो गयी है। यह प्रणाली पूर्ववर्ती वैट प्रणाली से भिन्न है। वैट प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में किसी वस्तु के विक्रय पर कर लगता था, तो वह कर राज्य कोषागार में जमा होता था। वैट प्रणाली में सेवाओं पर कर नहीं लगता था। सेवाओं पर कर सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित व एकत्रित किया जाता था।

जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत वस्तु एवं सेवाओं दोनों पर समान रूप से कर आरोपित होता है तथा यह एक गंतव्य (डेस्टिनेशन) आधारित कर है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व में किसी वस्तु के केन्द्रीय बिक्री किये जाने पर जो केन्द्रीय कर आरोपित होता था वह राज्य में जमा होता था किन्तु जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत यदि कोई केन्द्रीय संव्यवहार (वस्तु एवं सेवा दोनों) अन्तर्राज्यीय बिक्री का है, तो ऐसे में इस पर आरोपित कर उस राज्य को चला जाता है जिस राज्य को वह आपूर्ति की गयी है।

जीएसटी प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को निम्न दो दशाओं में कर प्राप्त होता है–

1. ऐसे मामले, जिनमें आपूर्तिकर्ता व प्राप्तिकर्ता दोनों राज्य में स्थित हैं। इस प्रकार के संव्यवहार में पूर्तिकार द्वारा एसजीएसटी व सीजीएसटी एक साथ आरोपित किये जाते हैं। एसजीएसटी राज्य को व सीजीएसटी केन्द्र के राजकीय कोष में जाता है।
2. ऐसे मामले, जिनमें उत्तराखण्ड से भिन्न किसी अन्य प्रान्त के आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की गयी है, ऐसे संव्यवहार में आपूर्तिकर्ता द्वारा आईजीएसटी के रूप में कर जमा किया जाता है एवं इस कर का 50 प्रतिशत राज्य को प्राप्त होता है।

राज्य में विभागों द्वारा समय–समय पर विभिन्न माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति प्रान्त बाहर से ली जाती है। इस प्रकार की आपूर्ति हेतु जो बीजक जारी किये जाते हैं, उनमें आहरित कर का 50 प्रतिशत राज्य को प्राप्त हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि उस बीजक पर विभाग का नाम / पता व राज्य का नाम अवश्य अंकित हो। यदि विभाग जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत है तो उस पर जीएसटीआईएन नम्बर भी अवश्य अंकित करवाया जाए। क्योंकि प्रान्त बाहर से खरीद करने पर यह अन्तर्राज्यीय संव्यवहार होगा, इसलिये ऐसे बीजक पर आईजीएसटी के रूप में कर आहरित होना चाहिए। यदि बीजक पर पूरा नाम / पता व राज्य का नाम अंकित नहीं है अथवा आहरित कर

parivad

AO

(signature)
12.02.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

I.T
uploaded
(signature)

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

आईजीएसटी के स्थान पर एसजीएसटी व सीजीएसटी के रूप में दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह कर राज्य को प्राप्त नहीं होगा तथा इससे राज्य के राजस्व की हानि होगी।

इस सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय है कि अनेक विभागों द्वारा कंसल्टेंसी फर्म जैसे Earnest & Young, PWC आदि की सेवायें ली जाती हैं। ये फर्म प्रायः उत्तराखण्ड से बाहर पंजीकृत हैं। ऐसे में इन फर्मों द्वारा बीजक में उत्तराखण्ड राज्य का पता व कर के रूप में आईजीएसटी आहरित होना चाहिए।

अतः आपसे अपेक्षित है कि प्रान्त बाहर से प्राप्त की गयी माल/सेवाओं की आपूर्तियों का भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि प्रान्त बाहर के पंजीकृत व्यापारी द्वारा जारी बीजक पर आपके विभाग का नाम/पता व राज्य का नाम अवश्य अंकित किया गया हो तथा कर आईजीएसटी के रूप में प्रभारित हो।

कृपया राजस्व हित में अपने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे इस तथ्य का सत्यापन अनिवार्य रूप से करें तथा यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो इसका निवारण अवश्य करें।

भवदीया,

(सौजन्या)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0सं0 / दिनांक :: उक्त ::
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।
3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से उक्त परिपत्र की प्रतियां उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4– निदेशक ट्रेजरी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त परिपत्र की प्रति ट्रेजरी की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिससे समस्त आहरण वितरण अधिकारी अवलोकन कर सकें।
5– श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
6– विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

parivad